

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-०२जी/प्र०क०पदा०(स्था०)-२०-०७/२०१७- २६९९

प्रेषक,

गौतम पासवान(बि०प्र०से०),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक कल्याण  
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- २३.१०.१७

विषय:- "बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-२०१०"  
के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-५०८  
दिनांक-१२.०३.२०१० के द्वारा "बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी  
संवर्ग नियमावली-२०१०" अधिसूचित किया गया है जिसमें कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के  
पदाधिकारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों का उल्लेख है। उक्त नियमावली के  
नियम-६(घ) एवं नियम-८ में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

"नियम-६(घ) परीक्ष्यमान अवधि:- "प्रखंड अनु० जाति एवं अनु० जनजाति को इस पद  
पर नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि की अवधि दो  
वर्षों की होगी। परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा, कार्य कलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय  
दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करने पर ही प्रखंड अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण  
पदाधिकारी के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि में कार्यकलाप  
संतोषजनक नहीं रहने या उनके विरुद्ध गंभीर आरोप होने पर सेवा से मुक्त किया जा  
सकेगा। सीधे नियुक्ति प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को (परीक्ष्यमान अवधि में) राजभाषा  
विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में १ वर्ष के अंदर उत्तीर्णता प्राप्त कर  
लेने के पश्चात ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। साथ ही प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली  
वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही प्राप्त हो सकेगी।"

"नियम-८:- राजस्व पर्वद द्वारा आयोजित मुफ्फसिल लिपिकों के लिए निर्धारित लेखा  
परीक्षा पत्र-१ एवं पत्र-२ पुस्तक सहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।"

2-जिलों में पदस्थापित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में उक्त नियमावली के नियम-6(घ) एवं नियम-8 में निहित प्रावधानों के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जानी है।

3-उपरोक्त नियमावली के नियम-6(घ) एवं नियम-8 के प्रावधानों के आलोक में आपके प्रमंडल/जिला में पदस्थापित नवनियुक्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को हिन्दी-टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा में एक वर्ष के अन्दर बगैर उत्तीर्णता प्राप्त किये प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि एवं बगैर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये द्वितीय एवं अन्य वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जा रही है, जो नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अनियमितता का परिचायक है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-508 दिनांक-12.03.2010 के द्वारा अधिसूचित "बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2010" के आलोक में नवनियुक्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल स्थगित रखते हुए कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को दिनांक-06.11.17 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(गौतम पोसवान)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02जी/प्र०क०पदा०(स्था०)-20-07/2017- 2699 पटना, दिनांक-23.10.17  
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,  
पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के संयुक्त सचिव